निर्णय बइजलास श्री संजीव कुमार खेदड, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 123 / 2022 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 24 / 03 / 2022
निर्णय दिनांक :– 04 / 09 / 2024

अनवान

1. घनश्याम पिता श्री देवी लाल जाति सेन निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

–अप्रार्थी

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री गोविंद कंसारा अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी कि खाते व कब्जे एव आधिपत्य सुदा आराजियात ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कून्दवा तहसील देवगढ में स्थित है जिसके पुर्व जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 कि खाता सख्या 25 के खसरा न. 398 / 1 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, खसरा न. 398 / 2 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, खसरा नं. 398 / 3 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, खसरा नं. 398 / 4 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा कुल किता 4 रकबा 30 बीघा भुमी राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। वर्तमान सेटलमेंट अधिकारी द्वारा सम्वत 2076 के किये गये सेटलमेंट में खसरा खतौनी के समय प्रार्थी कि आराजियात नये खाता संख्या 147 खसरा नं. 512 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नं. 517 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.4600 हैक्टर एवं खाता संख्या 24 खसरा नं. 211 रकबा 0.2300 हैक्टर, खसरा नं. 511 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नं.

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

513 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नं. 514 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नं. 516 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नं. 518 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 519 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल किता 7 रकबा 4.6100 हैक्टर भूमी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। वर्तमान में दर्ज खसरा नं. 211 रकबा 0.2300 हैक्टर गलत रूप से प्रार्थी के खाते में दर्ज तरमीम कर दिया गया उक्त भूमी खसरा मिलान अनुसार पुर्व के खसरा संख्या 115 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा था जो रामा पिता गिरधारी जी के नाम पर था जिसका राजस्व नक्से या मेरी आराजियात के आप पास कोई भूमी नही है गलत रूप से मेरे नाम दर्ज हुआ। वर्तमान दर्ज खसरा नं. 514 रकबा 1.1100 हैक्टर में राजस्व नक्से में उक्त भूमी के पास दर्ज खसरा संख्या 515 रकबा 0.7500 हैक्टर गै.मु.सडक जो नक्से में तरमीम कि गई वह वास्तवीक रूप से मौके के विपरीत दर्ज कि गई उक्त सडक वास्तवीक रूप से खसरा संख्या 514 के भाग में से होकर जा रही है एवं खसरा संख्या 515 जहा वर्तमान में तरमीम किया गया है वह भाग प्रार्थी का है। वास्तवीक रूप से मौके कि स्थित अनुसार खसरा संख्या 514 व 515 कब्जे के हिस्से अनुसार जरीये ईन्द्राज शुद्धी दर्ज किया जाना आवश्यक है क्योकि उक्त सडक वर्षो पुर्व बनी हुई है परन्तु राजस्व नक्से में उक्त सडक कही तरमीम नही थी अब गलत रूप से गलत जगह तरमीम कर दी गई है जिसकी वास्तवीक स्थिती एव नक्से कि स्थित में मुलभुत बहुत अन्तर है जिसे जरीये ईन्द्राज शुद्धी शुद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के पुर्व आराजी संख्या 398/1, 398/2, 398/3, 398/4 कुल किता 4 रकबा 30 बीघा भूमी राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जिसमे से 5 विस्वा भूमी औधोगिक रूप से कर्नवट थी। जिसे नवीन खसरा सेंटलमेंट में खसरा दराजी करते समय उक्त पुर्व खसरे के नवीन खसरा संख्या 511, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये उक्त खसरा का सम्पुर्ण रकबा 5.8400 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये जबकि वास्तवीक रूप से सम्पुर्ण 30 बीघा का रकबा 6.4900 हैक्टर बनता है वास्तवीक रूप से मुल रकबे से 0.6500 हैक्टर भूमी प्रार्थी के राजस्व नक्से व जमाबन्दी में कम दर्ज हुई एव प्रार्थी कि मुल आराजियात संख्या 398 का अन्य रकबा आराजी संख्या 510 रकबा 2.2500 हैक्टर भूमी बिलानाम राज्य सरकार दर्ज कर दी गई जबकि वास्तवीक रूप से खसरा कि रकबा दराजी करते समय गणितिय एवं लिपिकिये त्रुर्टि रही प्रार्थी के मुल 30 बीघा भूमी का रकबा 6.4900 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना था तो 5.8400 हैक्टर ही दर्ज रहा अर्थात प्रार्थी कि भूमी 0.6500 हैक्टर प्रार्थी के नाम दर्ज नही होकर गलत रूप से विलोपित कर दी गई। उक्त भुमी प्रार्थी के खाते राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी परन्तु लिपिकिय भुल से वर्तमान खसरे के नक्से व राजस्व ईन्द्राज में गलत रूप से प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

नाम कि ईन्द्राज खतौनी में गलती रहने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है वास्तव में उक्त गलती राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज संधारक के समय वर्षानुवासी सेटलमेंट ईन्द्राज खतोनी के समय गलती के रूप से हुई । भु–प्रबंधक विभाग को कानून भ–प्रबंध कि कार्यवाही के दौरान किसी भी खातेदार कि भूमी को बिलानाम सरकार या राजस्व परिर्वतन करने का कोई हक नही है जिससे मुल खातेदार अपने विध्यमान खातेदार हक से वंचित रहे वस्तुतः मौके कि स्थिती अनुसार रास्ता भी अंकित नही किया इसका नकसा भी गलत अंकित किया एव खातेदार भूमी का क्षेत्रफल गलत अंकन किया गया एव क्षैत्रफल में कमी करते हुये गलत अंकन कर दिया एव एक अन्य अराजियात 211 गलत रूप से प्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी जिससे न्यायहित में जमाबन्दी एव नक्से में अंकन दुरस्त किया जाना आवश्यक है। विपक्षी राज्य सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ है राजस्व रेकार्ड से सम्बधीत समस्त जमाबन्दी एव देख रेख में उन्ही के अधिनरथ रहता है इसलिये उन्हे प्रकरण का आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एव रेकार्ड दुरस्त पुनः उन्ही के द्वारा बनाया जाना है। उक्त ईन्द्राज गलत दर्ज होने कि जानकारी मुझ प्रार्थी को पुर्व कि जमाबन्दी नकल लेने एव पटवार हल्का संम्पर्क करने से दिनांक 30.09.2021 को उत्पन्न हुई तब से वाद हेतुक उत्पन्न हो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136, 131, 132 राजरथान भू राजरव अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर वर्तमान में दर्ज खसरा नम्बर 211 रकबा 0.2300 हैक्टर गलत रूप से प्रार्थी के खाते में दर्ज तरमीम कर दिया गया उसे प्रार्थी के खाते से जरीये ईन्द्राज शुद्धी करते हुये विलोपित फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। राजस्व रेकार्ड के वर्तमान खसरा संख्या 514 व 515 पर मौके कि स्थिती अनुसार पुर्व में बनी हुई सडक के अनुसार गै0मु0 सड़क राजस्व नक्से में ईन्द्राज शुद्ध कराया जाकर नक्से कि स्थिती जरीये ईन्द्राज शुद्धी दर्ज की जावें। ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कून्दवा तहसील देवगढ में स्थित है जिसके पुर्व जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 कि खाता सख्या 25 के खसरा न. 398/1 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, खसरा न. 398/2 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, खसरा नं. 398/3 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, खसरा नं. 398/4 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा कुल किता 4 रकबा 30 बीघा भुमी के नवीन खसरा नम्बर 147 खसरा नं. 512 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नं. 517 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.4600 हैक्टर एवं खाता संख्या 24 खसरा नं. 511 रकबा 1. 1100 हैक्टर, खसरा नं. 513 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नं. 514 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नं. 516 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नं. 518 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 519 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल किता 7 रकबा 4.6100 हैक्टर कुलिया भूमी 5.8400 हैक्टर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

जो वास्तवीक रकबा दराजी 30 बीघा के हेक्टर अर्थात (0.6500 हैक्टर कम हुई भूमी खसरा नम्बर 510 में से) 6.4900 हैक्टर भूमी राजस्व रेकार्ड में जरीये ईन्द्राज शुद्धी दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार की ओर से भू–अभिलेख निरीक्षक पारडी एवं पटवारी हल्का कुन्दवा की संयुक्त जांच रिपोर्ट पेश किया एवं पृथक से जवाब पेश नहीं किया। जांच रिपोर्ट में उल्लेखित किया कि ग्राम अनोपपुरा में सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 25 में घनश्याम पिता देवीलाल सेन सा0 आसीन्द के नाम 30 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड थी। तरमीमी सेटलमेन्ट पश्चात् सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पुराने खातेदारी आ0न0 398/1 के 07 बीघा 10 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 511 रकबा 1.11 हैक्टेयर 516 रकवा 0.35 हैक्टेयर, आराजी संख्या 398/2 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 512 रकबा 1.11 हैक्टेयर 517 रकबा 0.35 हैक्टेयर आराजी संख्या 398/3 रकवा 07 बीघा 10 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 513 रकबा 1.11 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 518 रकवा 0.35 हैक्टेयर आराजी संख्या 398/4 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 514 रकवा 1.11 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 519 रकवा 0.35 हैक्टेयर कुल 30 बीघा भूमि के 5.8400 हैक्टेयर बनाए। 30 बीघा भूमि के 6.4900 हैक्टेयर भूमि वनती है जवकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 5.8400 भूमि खातेदारी दर्ज की गई । अतः सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 0.6500 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गई। घनश्याम पिता देवीलाल सेन सा0 आसीन्द के नवीन जमावन्दी ग्राम अनोपपुरा के खाता में आराजी संख्या 211 रकवा 0.2300 हैक्टेयर के पुराने आ0स0 115 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा जो रामा पिता गिरधारी दरोगा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थे जिनके नवीन आराजी संख्या 211 को रामा पिता गिरधारी दरोगा के नाम दर्ज किया जाना उचित है। घनश्याम पिता देवीलाल सेन की नवीन आराजी संख्या 511 के लगते बिलानाम आराजी संख्या 510 रकवा 2.2500 हैक्टेयर में से 0.6500 हैक्टेयर पर कब्जा होकर पत्थर दीवार बनी होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। कब्जे संबंधी वास्तविकता वादी न्यायालय में स्वयं सिद्ध करे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवदेन किया
प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजरच रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज
शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी के
नाम पुराने खाता संख्या 25 में घनश्याम 1/30 राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसे
सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों के द्वारा बिना मौके की जांच किए बगैर प्रार्थी की भूमि
को 5.8400 हैक्टेयर दर्ज करते हुए 0.6500 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गई। जबकि प्रार्थी
के 30 बीघा के 6.4900 हैक्टेयर भूमि बनती है। नवीन जमाबन्दी में सेटलमेन्ट द्वारा बिना
मौके की जांच पड़ताल किये प्रार्थी की खातेदारी भूमि की गलत तरमीम कर दी गई है।
इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना
न्यायहित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने मौका रिपार्ट की ताईद की।

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया
गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज
को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 132, 131 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, देवगढ़ को आदेश दिये
जाते हैं कि ग्राम अनोपपुरा, पटवार मण्डल कुन्दवा, तहसील देवगढ़ में प्रार्थी के नाम
सेटलमेन्ट से पूर्व खाता संख्या 25 कुल किता 04 रकबा 30 बीघा भूमि जो खाता संख्या
24 कुल किता 07 रकबा 4.6100 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 147 कुल किता 02
रकबा 1.4600 हैक्टेयर भूमि को सम्मिलित करते हुए बिलानाम खसरा संख्या 510 रकबा
2.2500 हैक्टेयर में से 0.6500 हैक्टेयर भूमि माफिक कब्जे एवं प्रस्तुत नक्शे अनुसार प्रार्थी
के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 211(पुराना
112) रकबा 0.2300 हैक्टेयर भूमि को प्रार्थी के नाम से हटा सेटलमेन्ट से पूर्व रामा पिता
गिरधारी दरोगा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि करते हुए राजस्व रिकॉर्ड
में दर्ज किया जावें। तरमीम की विधिसम्मत नियमानुसार कार्यवाही की जावें। निर्णय की
पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया
गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द